

प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 48/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूप्रा ने "दूरसंचार इंटरकनेक्शन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020" जारी किया

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2020 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने आज "दूरसंचार इंटरकनेक्शन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020" को अधिसूचित किया, जो किन्हीं भी दो सार्वजनिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क (जिसे आमतौर पर फिक्स्ड लाइन नेटवर्क कहा जाता है) और पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क (PSTN) और नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (NLD) नेटवर्क के बीच के इंटरकनेक्शन को सुगम बनाता है।

2. इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, 30 मई 2019 को "इंटरकनेक्शन के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से लिखित टिप्पणी और प्रति-टिप्पणियां मांगी गई थीं। सभी हितधारकों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 19 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई थी।

4. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/जानकारी के आधार पर, ओएचडी के दौरान हुई चर्चाओं और स्वयं के विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने 'दूरसंचार इंटरकनेक्शन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020' अधिसूचित किया है।

5. "दूरसंचार इंटरकनेक्शन विनियम, 2018" में संशोधनों का सारांश इस प्रकार है: -

(i) एक सेवा क्षेत्र के भीतर पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच या पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल के लिए, पीओआई का स्थान, ऐसे स्थान होगा, जिस पर इंटरकनेक्शन प्रदाता और इंटरकनेक्शन प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हों।

(ii) यदि इंटरकनेक्शन प्रदाता और इंटरकनेक्शन प्राप्तकर्ता के बीच सहमति नहीं बन पाती है, तो PSTN और PSTN के बीच या PSTN और NLD नेटवर्क के बीच कॉल के लिए, POI का स्थान, LDCC पर होगा। ऐसे मामले में, एलडीसीसी से एसडीसीसी और इसके विपरीत, कॉल के कैरिज के लिए इंटरकनेक्शन प्राप्तकर्ता द्वारा कैरिज शुल्क का भुगतान इंटरकनेक्शन प्रदाता को किया जाएगा।

(iii) पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच या पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल के लिए एसडीसीसी स्तर पर मौजूदा पीओआई, कम से कम पांच साल की अवधि के लिए या ऐसे समय तक परिचालन में रहेंगे, जिस पर इंटरकनेक्टिड सेवा प्रदाता परस्पर ऐसे POIS को बंद करने का निर्णय लेते हैं, जो भी पहले हो।

(iv) PSTN और PSTN के बीच या PSTN और NLD नेटवर्क के बीच कॉल के लिए SDCC स्तर पर मौजूदा POI को बंद किया जा सकता है, यदि उस SDCA में दोनों में से किसी एक इंटरकनेक्टिड सेवा प्रदाता की सेवाएं बंद हो जाती हैं।

6. व्याख्यात्मक जापन के साथ 'दूरसंचार इंटरकनेक्शन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020,' का पूरा

पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.traai.gov.in पर उपलब्ध है।

7. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री सुनील कुमार सिंघल, सलाहकार (बीबी एंड पीए) से टेलीफोन/फैक्स नंबर +91-11-23221509 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।